


108



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० 1141-II / 2007 पुनरीक्षण

वी. एस. के. कावपेयी २३
द्वारा काब दि० 6-7-07 को प्रस्तुत।

अवर जजिब
सर्विस वरुण/म० प्र० आधिकार

- 1- रामचरण पुत्र बजरंगलाल वैश्य
- 2- बरफा बाई उर्फ गीता पुत्रां केशार

पत्नी रामचरण मथुरिया
निवासीगण ग्राम गुलावदा तहसील श्यापुर
जिला श्यापुर ----- आवेदकगण
विश्व

हरीचरण पुत्र रामचन्द्र माली (तथाकथित
करीयतगृहीता) निवासी ग्राम गुलावदा
तहसील श्यापुर जिला श्यापुर -- अनावेदक

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्र०क्र० 61/2006-2007
पुनरीक्षण में पारित आवेश दिनांक 16-5-2007 के
विश्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० मू राजस्व
संहिता 1959.

2. अनु 2
6-10-2006

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत
करते हैं :-

- (1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आवेश अवैध एवं मनमाना
होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
- (2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 25011 के 5 बीघा का
पट्टा शासन द्वारा आवेदक-1 के सगे भाई रामशंकर को दिया गया

Handwritten signature/initials.

R 1141-1707

25.4.16.

बिनाक को भी न को
न को यो यो न को
न को बिनाक को न को
न को न को न को
न को न को न को
न को न को न को
न को न को न को
न को न को न को
न को न को न को
न को न को न को

असुर

असुर
असुर
असुर